

# नए कानून का अच्छी तरह करें अध्ययन

नए कानून संबंधी हुआ उन्मुखीकरण प्रशिक्षण में बोले संभाग आयुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा

भोपाल, 19 जुलाई. प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता प्रक्रिया के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एक्ट के स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभाव में आ गए हैं।

पुलिस एवं प्रशासन के समस्त अधिकारी इनका अच्छी तरह अध्ययन कर लें, जिससे इनका जनहित में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में



इस संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करें। संभाग आयुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने आज कमिश्नर कार्यालय में भोपाल संभाग के प्रशासन के अधिकारियों के नए कानून के संबंध में एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण को

संबोधित किया. मास्टर ट्रेनर विधि अधिकारी पुलिस मुख्यालय श्री विजय बंसल, एडीपीओ मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी सुश्री सुचित्रा वर्मा तथा विधि अधिकारी पुलिस आयुक्त कार्यालय डॉ. मनीषा पटेल ने प्रशिक्षण दिया।


प्रशिक्षण के दौरान एसीपी अवधेश गोस्वामी, आईजी अभय सिंह, भोपाल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, एडीएम, एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

**न्यूनतम सजा का प्रावधान** भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023- यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगे. पूर्व में इसमें 167 सेवशन तथा 11 अध्याय थे. वर्तमान में इसमें 170 सेवशन और 12 अध्याय हैं। कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है. 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है. कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है.

## सुंदरकांड विवाद के बाद अचानक सीएम हाउस पहुंचें दिग्विजय सिंह

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 19 जुलाई. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह शुक्रवार शाम को अचानक मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. दिग्विजय सिंह के पहुंचने के कुछ देर बाद ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. सुंदरकांड विवाद के बाद दिग्विजय सिंह अभी भाजपा के निशाने पर हैं और उनके खिलाफ तीखी बयानबाजी हो रही है.

इधर कांग्रेस थाने में सुंदरकांड की अनुमति देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ी है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर थाने में सुंदरकांड करने पर सवाल



उठाए थे, उन्होंने नियमों का हवाला देकर इस तरह की अनुमति देने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी. बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के हिन्दू विरोधी बयानबाजी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी नाराज हैं. सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. यादव, विधानसभा अध्यक्ष तोमर और दिग्विजय सिंह के बीच चर्चा हुई. जिसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हो सकी है. दिग्विजय सिंह यहां लगभग 15 मिनट रहे और फिर वापस लौट गए. इधर दिग्विजय सिंह के वापस जाने के बाद मुख्यमंत्री भी भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हो गए.

## डीपीसी के औचक निरीक्षण में बंद मिले स्कूल, नोटिस जारी

बैरसिया, 19 जुलाई. ग्रामीण क्षेत्र में पिछले दो दिन सातों से शिक्षा का ढर्रा बिगड़ा हुआ है। जहां अधिकारियों ने निरीक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है। पुराने अधिकारियों की रवानगी के बाद अब नए अफसरों के औचक निरीक्षण में स्कूल चले हम अभियान की पोल खुलने लगी है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को डीपीसी ओपी शर्मा ने बैरसिया ब्लॉक में स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे सुबह 11.30 बजे शासकीय प्राथमिक शाला भमोरी पहुंचे वहां स्कूल में ताला लटका मिला। दूसरी शा. प्राथमिक शाला कल्याणपुर में एक शिक्षक उपस्थित मिला। लेकिन छात्र-छात्राएँ नहीं थे। ग्रामीणों ने डीपीसी को बताया कि स्कूल कभी खुलता है कभी नहीं। जिस पर डीपीसी ने दो शिक्षक राधेश्याम भारती एवं सपना ठाकरे के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। इधर ग्रामीणों ने बताया कि कल्याणपुर शाला से शिक्षक नेत्रपाल सिंह कई दिनों से गायब है।

## 23 सितंबर में आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट

नवभारत रिपोर्टर भोपाल, 20 जुलाई. मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. क्योंकि, यहां पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7411 रिक्त पदों के लिए भर्ती होने वाली है. हालांकि, इनके लिए परीक्षा का आयोजन पिछले साल ही किया जा चुका है. जो 2023 में 12 अगस्त से 12 सितंबर के बीच ऑनलाइन आयोजित की गई थी. वहीं, अब कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. घोषणा अनुसार, फिजिकल टेस्ट का आयोजन 23 सितंबर से 9 नवंबर तक किया जाएगा. जो प्रदेश के कुल 10 जिलों के मुख्यालयों में कराई जाएगी. परीक्षा के तहत उम्मीदवारों से पोपीटी में 800

**निम्नलिखित स्थानों पर होगी परीक्षा** भोपाल- मोतीलाल नेहरू स्टेडियम. इंदौर- पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय. जबलपुर- परेड ग्राउंड 6वीं वाहिनी रांझी. ग्वालियर- परेड ग्राउंड 14वीं वाहिनी. उज्जैन- महानंदा एरीना ग्राउंड, देवास रोड. सागर- शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कालेज. रीवा- परेड ग्राउंड 9वीं वाहिनी. बालाघाट- फुटबाल ग्राउंड 36वीं वाहिनी. रतलाम- भगत सिंह शासकीय पीजी कालेज, बस स्टैंड के पास. मुरैना- परेड ग्राउंड 5वीं वाहिनी.

मीटर की दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद कराई जाएगी. भर्ती के लिए परीक्षा के परिणाम 7 मार्च 2024 को जारी कर दिए गए थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता और बारिश के चलते फिजिकल टेस्ट अब तक नहीं हो पाया था. जो अब आयोजित होने जा रही है. इसमें

## प्रदेश में गौ संरक्षण के कठोर नियम बनाने सीएम से किया आग्रह

मंडीदीप, 19 जुलाई. नगर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री अमित जैन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिख कर उनसे गाय संरक्षण हेतु और कठोर नियम बनाने की मांग की है. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखे पत्र में भाजपा भाजपा महामंत्री अमित जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ वंश के संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयास अभिनंदनीय हैं परंतु कुछ गौ पालकों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भागने के कारण आज गौ माता सड़क पर दिखाई देती है, यद्यपि सरकार ने प्रदेश में गौ शाला में रहने वाली गौ माता की राशि में वृद्धि की है परंतु कुछ स्वार्थी लोग गौ पालते हैं दूध दुहते हैं और बाद में गौ माता को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं।

## मग्न अव्वल स्थान लाने प्रतिबद्ध

उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को करेगें प्रोत्साहित प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 19 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव पहल कर रही है. मार्च माह में उज्जैन में हुई इन्वेस्टर साइट में 75 हजार करोड़ रूपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए. इसी क्रम में 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है. इसमें देशभर से निवेशक और औद्योगिक घराने तथा प्रदेश के उद्यमियों से निवेश के नए प्रस्ताव आने की संभावना है. प्रदेश के संसाधनों के आधार पर कृषि, शिक्षा, चिकित्सा तथा



कुटीर-लघु-मध्यम और भारी उद्योगों के माध्यम से हम प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं. राज्य शासन प्रदेश को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाले दूसरे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में यह बात कही.

## बाइक फिसलने युवक की मौत

भोपाल, 19 जुलाई. कटारा हिल्स इलाके में गुरुवार रात बाइक फिसलने से गिरा एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण शरीर का खून बग गया था. राहगीरों की नजर पड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोएम कराते के बाद लाश परिजन को सौंप दी है. पुलिस के मुताबिक लोकेश पवार (28) मूलतः बैतूल का रहने वाला था. फिलहाल वह बगरोदा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में रहता था और वहीं एक फेक्टरी में काम करता था. गुरुवार रात वह फेक्टरी से घर जाने के लिए निकला था. रास्ते में गिट्टी पड़ी होने पर उसकी बाइक फिसल गई, जिससे वह सिर के बल सड़क पर गिरा और

काफी दूर तक घिसटता हुआ चला गया. घटना के काफी देर बाद किसी राहगीर की नजर पड़ी तो उसने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो पास ही उसकी बाइक पड़ी हुई थी.

**पश्चिम मध्य रेल**  
No.:CB/BL/e-auction/July/2024  
Date: 18.07.2024  
भोपाल मण्डल के पार्किंग स्टैंड के अनुबंध के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की गई है। केंद्रों पर पहले ही IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है: Catalogue number: C-BPL-Park-24. Type of contract: Parking. Lot no.: PARKING-BPL-BINA-MX-39-24-1 (Parking - Mixed at BINA Station). Contract Period: 3 years. Lot no.: PARKING-BPL-BPL-MX-40-24-1 (Parking - Mixed at Bhopal Station). Contract Period: 5 years. Date and time of start of e-auction for all lots: 26.07.2024 at 12.00 hrs., प्रतिभागियों ई-नीलामी के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाकर ई-नीलामी की मानक शर्तों और लॉट की विशेष शर्तों के विवरण के लिए जा सकते हैं। सहायक वाणिज्य प्रबंधक मण्डल रेल प्रबंधक/पमरे, भोपाल  
संलग्न भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

## M.P. PASCHIM KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

GPH Company, Polongrud, Indore, Ph. No. : 0731-2426144, 2426204/166, 2426203  
E-mail : sepurchasae06@gmail.com, CIN : U40109MP2002SG0015121  
No. MDW206/PUR/NIT-30/19790 Indore, Date : 19.07.2024

TS No.	Name of Item	Unit	Approx. Qty.	Online Tender Opening Date
1794	AMC & onsite Support of various IT Equipment's installed at Advance Metering Infrastructure Control Centre MPPKVVCL, Indore for period of 3 Years.	Lot	1	28.08.2024
1795	Supply, Installation and Commissioning of LED Display units at Satbagra hall of corporate office, MPPKVVCL, Indore.	No.	02 (65 inch) LED 4K smart TV 01 (98 inch) Signage Display	03.09.2024
1796	Consultancy Services to carry out Loss Estimation Study upon 1% of each parameters in MPPKVVCL, Indore.	LS	1	11.08.2024
1810	Outsourcing of Internal Audit related to LT Revenue Audit of Distribution Centres/ Zones offices under different Circles of MPPKVVCL, Indore for the F.Y.2023-24 to 2024-25(to be conducted on Half Yearly basis separately for each Half Year).	LS	434 (Approx.) DC/ Zone office	02.09.2024

TS No.	Name of Item	Unit	Approx. Qty.	Online Tender Opening Date
1797	Supply of 33 KV Polymer Disc Insulators	No.	8785	21.08.2024
1798	Polymer AB Switches	No.	21.08.2024	21.08.2024
	11 KV	No.	1620	
	33 KV	No.	460	
1799	RCA for supply of PCC Poles	No.	32855	28.08.2024
	8 Mtr. Long 140 Kg	No.	6204	
	9.1 Mtr. Long 280 Kg	No.		
1800	VCB along with spare parts	No.	565	23.08.2024
	33 KV	No.	243	
	100 KVA BIS EEL-3 (Old)/EEL-2 (New), DTR	No.	1600	21.08.2024
1802	63 KVA BIS EEL-2 (Old)/EEL-1(New), DTRs	No.	1414	23.08.2024
1803	RCA for repairing & testing of 315 KVA BGP Inlet Transformer	KL	1333	23.08.2024
1805	1100 V, Single Core XLPE Insulated Un-armoured Al Conductor Cable assorted size	KM	585	11.09.2024
1806	Copper Control Cable (2.5 Sqmm)	KM	160	18.08.2024
1807	11 & 33 KV Metering equipment of 0.5s accuracy class	MT	633	06.08.2024
1808	Engagement of outsourcing agency for testing of Metering Equipment (CT-PT) and Meter installed at the premises of various Renewable Energy (RE) generators of Ujjain & Indore regions of MPPKVVCL, Indore other than Shajapur & Agar Circle	Set	723	28.08.2024
1809	Supply of WPIS 160 x 160 mm, (50-14 kg/m, Dxb 152 mm x 160 mm, 79/11/13 mtr.)	MT	3606.96	23.08.2024

For further detailed information visit website <http://www.mpvc.co.in> or <https://www.mptenders.gov.in>  
M.P. Madhyam/115647/2024  
CHIEF ENGINEER (PURCHASE)

## भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) भारत सरकार  
मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002  
विज्ञापन संख्या 01 (एमई)/2024/एचआरडी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांख्यिक निकाय है, जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और मानकीकरण, उत्पाद और पद्धति प्रमाणन, हॉल मार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है. बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण और प्रमाणन के लिए भी उत्तरदायी है.

2. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव (एमई) की अनुबंध के आधार पर भर्ती करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है. निम्नलिखित निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विज्ञापन का विवरण निम्न प्रकार है :-

श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	पदों की संख्या	ऊपरी आयु सीमा	पारिश्रमिक दर महीने
मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव (एम.ई.) एन.आई.टी.एस.	इंजीनियरिंग स्नातक के साथ एमबीए सहित (मार्केटिंग)	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य सरकार/ सांख्यिक / खाद्यमंत्रालय/ सार्वजनिक	03	45	रुपए 1.5
मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव (एमई)	इंजीनियरिंग स्नातक के साथ एमबीए सहित (वित्त/ मार्केटिंग/ मानव संसाधन/ सामान्य)	क्षेत्र के उपक्रम/ प्रतिष्ठित सरकारी निजी क्षेत्र के संगठन के साथ संबंधित क्षेत्र में एमबीए के बाद	02	वर्ष	लाख (निश्चित)
मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव (एम.ई.) आई.आर. एंड टी.आई.एस.डी.	इंजीनियरिंग में स्नातक के साथ एमबीए (अधिमानतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध/ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में)	05 वर्ष का अनुभव.	02		

3. विस्तृत विज्ञापन और पत्र के लिए आवेदन हेतु कृपया बीआईएस की वेबसाइट [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in) देखें. उम्मीदवारों को बीआईएस वेबसाइट के माध्यम से 20-7-2024 से 9-8-2024 (अंतिम तिथि) तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. किसी भी परिस्थिति में आवेदन जमा करने का कोई अन्य माध्यम/ मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा.  
दिनांक: 20-7-2024  
स्थान: नई दिल्ली

## पश्चिम मध्य रेल

निविदा सूचना सं. डि.पी.सी-बीआर-एल-जे.पी.ओ.-03-2024 दिनांक:16.07.2024 भारत संघ के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए वि.ए. ई.पी.ए./पुल/लाईन/मुख्या/पश्चिम मध्य रेल जबलपुर निम्नलिखित कार्य हेतु टेकेदारों से खुली निविदा (ई-निविदा) आमंत्रित करते हैं। विवरण: (1) कार्य का नाम-जबलपुर मंडल के आचारण-देवरी खंड में लेवल क्रॉसिंग संख्या 323 के किमी 1004 / 2-3 पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण बावत और गोरखपुर-सिंहोरा खंड में लेवल क्रॉसिंग संख्या 330 के किमी 1017 / 1-2 पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण बावत करने बावत। (2) कार्य की अवधि- 15 माह मानसून सहित। (3)निविदा मूल्य- रु.153479736. (4) बयाना राशि- रु.917400.00. (5)निविदा जमा करने एवं खुलने की तिथि एवं समय- 09/08/2024 15:30 बजे। निविदा एवं दस्तावेज वेबसाइट <https://ireps.gov.in> पर होस्ट कर दिया गये है एवं निविदा प्रमुख अभियंता, पश्चिम मध्य रेल के कार्यालय इंदिरा मार्केट, जबलपुर नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है(केवल ई निविदा ही स्वीकार की जायेगी)। उपयुक्त अभियंता/पुल/लाईन/मुख्या/पमरे, जबलपुर

संलग्न भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

मण्डीदीप, 19 जुलाई. अपने आप को बदलने से ही संसार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अपने स्वभाव अपने विचार और अपनी आदत को बदल दीजिए। हर हाल में जीने की आदत डालो। अपने अतीत को मत भूलो और अपनी औकात को सदा याद रखो उस दिन को मत भूलो जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अगर यह याद रहा तो कभी अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और ज्यादा पाने के लिए ज्यादा खोना पड़ता है. बहुत कुछ पाने के लिए बहुत

## एशिया शिपिंग कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने किया पौधरोपण

मंडीदीप, 19 जुलाई. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा एक पेड़ों के नाम से प्रेरित होकर शहर में पौध रोपण जन अभियान के रूप में चल रहा है। नगर पालिका जहाँ पन्द्रह हजार पौधे लगावा रही है वहीं उद्योगपति भी वृक्षारोपण को लेकर गंभीर रूप अपनाए हुए हैं। प्रतिदिन औद्योगिक इकाइयों में पौध रोपण किया जा रहा है इसमें कंपनी मालिक अधिकारियों - कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर फलदार एवं छायादार पौधे लगा रहे हैं। शुक्रवार को खनपुर स्थित एशिया शिपिंग कम्पनी में सात प्रजाती के सो पौधे रोपे गए।



कुछ खोना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सबकुछ खोना पड़ता है। उपरोक्त बात आचार्य विधासागर महाराज के पिछ्य मुनि निराकुल सागर महाराज ने

संत निवास में आयोजित धर्मसभा में कही। उन्होंने कहा कि जीवन में दो लोगों को कभी नाराज मत करना एक तो डाक्टर और दूसरा भगवान को। क्योंकि भगवान को नाराज करोगे तो वह आपको डाक्टर के पास भेज देगा और डाक्टर को नाराज करोगे तो वह आपको भगवान के पास भेज देगा मुनिश्री ने कहा कि सुबह उठकर नास्ता करने चाय पीने से पहले अपने इष्ट अपने भगवान अपने गुरु से सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करना क्योंकि सुबह की प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है।

## CENTRUM Home Loans

कॉर्पोरेट एवं रिजिटर्ड ऑफिस : सुनिट नं. 801, सेन्द्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिन साताकुल (पूर्व), मुंबई - 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826  
सेन्द्रम हाउसिंग फाइनेंस सेन्द्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहला माला, वीवा- 3, बाहीलाल हाउस के सामने, रेलवे कॉलोनी के पास, नवरोपपुरा, अहमदाबाद- 380009

क्र.	देवदार/सह देवदार/गारदरी का नाम / लोन एक्टर नं./ब्रांच	कुल बचतकी तिथि	अवसत संसति का विवरण	सिवाय मूल्य	स्थान सतिज जमा (इंस्टीक) 10 प्र.प्र.
1.	इहसे कुमार/ सोनी शर्मा BHOHB22007230 भोपाल	रु. 7,42,348/- (रु. सात लाख चालीस हजार तीन सौ अठ्ठासी मात्र) 11-3-2024	ईस्टव्यूएस प्लेट नंबर 01-08, ग्राउंड फ्लोर, कृष्ण वनस्पत- 25.10 वर्ग मीटर, जिसमें 25.10 वर्ग मीटर प्लेट निर्मित क्षेत्र शामिल है. यह नगर/परिचयन 'रामराज साइड एच.के.जे. II' इस्टव्यूएस ब्लॉक में खसत नंबर 1/2 और 2/2 की भूमि पर स्थित है. जो ग्राम- रायचडिया, पी. घ.व. नंबर 43/25, वार्ड नंबर 85, तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल- 462043. मध्य प्रदेश में स्थित है. सीमाएं- पूर्व- अनापारिक सेक्टर प्लेट नंबर 01-07, पश्चिम- अनापारिक सेक्टर की खुली भूमि, उत्तर- ईस्टव्यूएस ब्लॉक का मालियारा, दक्षिण- अनापारिक सेक्टर की खुली भूमि.	रु. 7,00,000/- (रु. सात लाख मात्र)	रु. 70,000/- (रु. सात हजार मात्र)

1. नीलामी जैसा है जहाँ है और जैसा है जो है के आधार पर आयोजित की जा रही है. 2. नीलामी किसे विस्तृत नियम और शर्त निर्धारित निविदा फॉर्म में प्रस्तुत करनी होगी. 3. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 4. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 5. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 6. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 7. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 8. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 9. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 10. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 11. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 12. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 13. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 14. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 15. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 16. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 17. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 18. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 19. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 20. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 21. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 22. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 23. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 24. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 25. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 26. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 27. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 28. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 29. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 30. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 31. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 32. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 33. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 34. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 35. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 36. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 37. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 38. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 39. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 40. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 41. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 42. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 43. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 44. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 45. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 46. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 47. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 48. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 49. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 50. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 51. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 52. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 53. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 54. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 55. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 56. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 57. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 58. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 59. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 60. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 61. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 62. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 63. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 64. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ताव/बोली को प्रस्तुत करनी होगी. 65. नीलामी के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्ता